न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– गुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
36 / 2021 / प्रा.पत्र / 2021	30.04.2021	03.09.2021

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम।

1–श्री मुकेश कुमार मित्तल पुत्र श्री किशन गोपाल मित्तल एफ.बी.ओ मैसर्स मुकेश सेल्स एजेन्सीज विवेकानन्द कॉलोनी देवली जिला टोंक निवासी प्लाट नं0 48 जनता कॉलोनी देवली जिला टोंक राज0

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थी उपस्थित

:–निर्णय–:

दिनांक 03.09.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.12.2020 को समय 4.49 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स मुकेश सेल्स एजेन्सीज विवेकानन्द कॉलोनी देवली जिला टोंक पर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से मुकेश कुमार मित्तल पुत्र श्री किशन गोपाल मित्तल एफ.बी.ओ मैसर्स मुकेश सेल्स एजेन्सीज विवेकानन्द कॉलोनी देवली जिला टोंक निवासी प्लाट नं0 48 जनता कॉलोनी देवली जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिका होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे मिक्स अचार स्वदेशी ब्राण्ड (Mix Pickle Swadeshi Brand) रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर, विक्रेता श्री मुकेश मित्तल को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता मुकेश मित्तल एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.29 15:04:52 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

1305

Scanned by CamScanner

आवेदक द्वारा दुकान मे 500–500 ग्राम के 31 नग कागज के एक कार्टून मे **मिक्स अचार स्वदेशी ब्राण्ड** (Mix Pickle Swadeshi Brand) रखे हुये मे से 500–500 ग्राम के 4 नग का चयन कर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री मुकेश मित्तल को रू0 200/–अक्षरे दो सौ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **मिक्स अचार स्वदेशी ब्राण्ड** (Mix Pickle Swadeshi Brand) 4 नग 500–500 ग्राम कुल मात्रा 2 किलोग्राम को बराबर–बराबर (एक भाग 500–500 ग्राम) को ज्यो का त्यो खाकी कागज मे लपेटकर नियमानुसार चार भाग व चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं कमांक I–2737 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2737 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. मुकेश मित्तल के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./2021/175 दिनांक 18.01.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/2465/एक्ट/2020/2344 दिनांक 31.12.2020 अनुसार मुकेश मित्तल से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **मिक्स अचार स्वदेशी ब्राण्ड** (Mix Pickle Swadeshi Brand) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1) (zf) (c) (i) के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) व **अवमानक** (Sub-Standard)स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा मिथ्याछाप (Mis-branded) व अवमानक (Sub-Standard)स्तर का **मिक्स अचार स्वदेशी ब्राण्ड** (Mix Pickle Swadeshi Brand) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.29 15:04:52 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **मिक्स अचार स्वदेशी ब्राण्ड** (Mix Pickle Swadeshi Brand) का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) व अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मिक्स अचार स्वदेशी ब्राण्ड** (Mix Pickle Swadeshi Brand) का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) व अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री मुकेश कुमार मित्तल पुत्र श्री किशन गोपाल मित्तल एफ.बी.ओ मैसर्स मुकेश सेल्स एजेन्सीज विवेकानन्द कॉलोनी देवली जिला टोंक निवासी प्लाट नं0 48 जनता कॉलोनी देवली जिला टोंक राज0पर शास्ति 20,000 (अक्षरे बीस हजार रू0)आरोपित की जाती हैअभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 03.09.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.09.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

3.9.2021

(मुरारी लाल शर्मा)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

टोंक–राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.29 15:04:52 IST
Reason: SelfAttested

1307

Scanned by CamScanner